आंध्र प्रदेश सरकार

<u>सार</u>

नियम - आंध्र प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पेसा) नियम, 2011 - आदेश - जारी।

पंचायत राज और ग्रामीण विकास (एमडीएलआई) विभाग

जी.ओ.एमएस. संख्या. 66 दिनांक:24.03.2011

पढ़े :

1998 का अधिनियम संख्या 7, 16.01.1998 को प्रकाशित

आदेश:-

भारत के संविधान के 73 वें संशोधन ने भारत सरकार द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या 40) के प्रावधानों को अधिनियमित करके राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संविधान के भाग -IX के प्रावधानों का विस्तार किया; अधिनियम के अनुरूप आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) में विधिवत संशोधन करते हुए आंध्र प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम संख्या 7) अधिनियमित किया। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं/पंचायतों (जीएस/जीपी) को लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीकों और लघु वन उपज (एमएफपी) के स्वामित्व आदि की रक्षा और संरक्षण करने का अधिकार देता है।

2. आंध्र प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1998 का कार्यान्वयन, जो स्व-शासन को बढ़ावा देता है, ग्राम सभाओं को केंद्रीय भूमिका देता है, अनुसूची-V क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

3. तदनुसार, निम्नलिखित अधिसूचना आंध्र प्रदेश राजपत्र के एक असाधारण अंक दिनांक 24.03.2011 में प्रकाशित की जाएगी।

<u>अधिसूचना</u>

आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 के भाग VI-क के अंतर्गत धारा 268 की उप-धारा (1) के साथ धारा 242-क से 242-झ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल इसके द्वारा आंध्र प्रदेश पंचायत विस्तार से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(i) इन नियमों को आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार (पेसा) नियम, 2011 कहा जाएगा।

(ii) इनका विस्तार राज्य के उन सभी अनुसूचित क्षेत्रों में किया जाएगा जहां आन्ध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 लागू है।

(iii) ये तुरंत प्रभाव से लागु होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो;

(i) 'अधिनियम' का अर्थ आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 है जिसे आंध्र प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम संख्या 7) द्वारा संशोधित किया गया है।

(ii) 'ग्राम सभा' का अर्थ है एक ग्राम सभा जो नियम 4 के अंतर्गत अस्तित्व में आती है।

(iii) 'लघु जल निकायों' का अर्थ है प्राकृतिक जल निकाय, जिनका उपयोग पीने का पानी लाने, चेक डैम के निर्माण और 40 हेक्टेयर तक भूमि की सिंचाई के लिए किया जाता है।

(iv) अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र से है।

(v) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "आयुक्त" का अर्थ है आदिवासी कल्याण आयुक्त।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957; आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियम, 1959; आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र धन ऋणी विनियम, 1960; आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण राहत विनियम, 1960; आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) अधिनियम, 1966; आंध्र प्रदेश वन अधिनियम, 1967; आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968; आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण राहत विनियम, 1970;

आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र लघु वन उपज (व्यापार विनियमन) विनियम, 1979; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982; आंध्र प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1998 द्वारा यथा संशोधित आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994; आंध्र प्रदेश कृषक सिंचाई प्रणाली प्रबंधन अधिनियम, 1997; और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या इस समय ऐसे किसी अन्य विधान में समनुदेशित है ।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में गांवों की घोषणा

पंचायत राज अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजन के लिए।

(i) आयुक्त संबंधित जिला कलेक्टर से श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद और महबूबनगर जिलों में अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों की सूची तैयार करने का अनुरोध कर सकते हैं।

(ii) एक गांव में एक निवास/बस्ती या समूह शामिल हो सकते हैं जिसमें एक समुदाय या समुदाय शामिल हो सकता है जो अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करता है।

(iii) ऐसी मांग प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर पीओ, आईटीडीए के परामर्श से एक प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं जिसमें बसावट/बस्ती या उसके समूह शामिल गांवों को शामिल किया जाएगा।

(iv) इस प्रकार तैयार किए गए प्रस्ताव/प्रस्तावों को आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव की समीक्षा करने पर आयुक्त श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद और महबूबनगर जिलों में अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों की घोषणा करेंगे।

4. ग्राम सभा और उसके कार्य:

(i) पूर्वोक्त तरीके से घोषित प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वयस्क सदस्य होंगे, जिनके नाम ग्राम स्तर पर मतदाता सूची में शामिल हैं।

(ii) ग्राम पंचायत का सरपंच ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा। ग्राम सभा नीचे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव करेगी।

(iii) संबंधित एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी इन नियमों के अंतर्गत पहली ग्राम सभा बुलाने के लिए न्यूनतम उप तहसीलदार के रैंक के अधिकारी को नियुक्त करेंगे। इस प्रकार बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता संबंधित पंचायत के सरपंच द्वारा की जाएगी। सरपंच की अनुपस्थिति में बसावट के पारंपरिक गांव के बुजुर्ग/स्व-सहायता समूह ग्राम सभा की अध्यक्षता कर सकते हैं।

(iv) ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम ग्राम सभा के सदस्यों के 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, जिनमें से कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति सदस्य होंगे।

(v) ग्राम सभा हाथ दिखाकर गांव के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव करेगी। उपाध्यक्ष और सचिव अनुसूचित जनजाति से होंगे और कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(vi) एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम दो सांविधिक बैठकें होंगी। तथापि, सांविधिक बैठकों के अतिरिक्त, ग्राम सभा आवश्यकतानुसार ग्राम सभा द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर बैठक कर सकती है।

(vii) एक उपस्थिति रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें पीठासीन सदस्य ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर, जैसा भी मामला हो, प्राप्त करेगा।

(viii) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के अंत में, पीठासीन सदस्य ग्राम सभा की कार्यवाही को पढ़ेगा और सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करेगा। संकल्प की प्रत्येक मद को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए और ग्राम सभा का अनुमोदन या अन्यथा प्राप्त किया जाना चाहिए। सदस्य अपने अनुमोदन के प्रतीक के रूप में अपने हाथ उठाएंगे।

(ix) ग्राम सभा की बैठक के दौरान पारित प्रस्तावों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप, जैसा भी मामला सदस्यों का हो, ग्राम सभा के सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा ली जाएगी।

(x) ग्राम सभा के सचिव द्वारा (4) सप्ताह में सरकार /एजेंसी / संगठन के संबंधित विभाग को संकल्पों को सूचित किया जाएगा।

(xi) निम्नलिखित मामले ग्राम सभा के विचारार्थ उसके समक्ष रखे जाएंगे।

(क) ग्रामीण कृषि उत्पादन योजनाएं;

(ख) गांवों में सामान्य भूमि के स्थान की सूची अर्थात पोरामबोक्स आदि पंचायत में निहित और अन्य प्रासंगिक विवरण;

(ग) घरों और अन्य अचल संपत्तियों के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूची;

(घ) ग्राम पंचायत के अनुमोदित बजट अनुमानों की एक प्रति;

(ङ) पंचायत के लेखों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति;

(च) उन चूककर्ताओं की सूची, जिन पर ग्राम पंचायत के करों और शुल्कों का बकाया है;

(छ) उचित दर दुकान/डी.आर. डिपो का कार्यकरण;

(ज) आंगनवाड़ियों का कार्यकरण;

(झ) उप केंद्रों का कार्यकरण;

(ञ) स्कूलों का कार्यकरण ।

(ट) कल्याण छात्रावासों का कार्यकरण

(ठ) पीने के पानी की व्यवस्था

(ड) बिजली का प्रावधान; और

(ढ) कोई अन्य विकास कार्यक्रम

(xii) ग्राम सभा प्रत्येक परिवार की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार करेगी और अनुमोदित करेगी जिसमें गांव के मानव और प्राकृतिक संसाधन, साक्षरता स्तर, भूमिहीन परिवार, महिला प्रधान परिवार, उनकी वर्तमान स्थिति के विवरण के साथ अब तक प्राप्त लाभ, गांव की समस्याएं, प्राथमिकता आदि शामिल होंगे।

(xiii) ग्राम सभा निवास के क्षेत्र में व्यक्तिगत/सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पहचान और कार्यान्वयन में शामिल होगी

(xiv) मंडल प्रजा परिषद ग्राम विकास योजनाएं तैयार करने और लाभों और योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए परियोजना अधिकारी, संबंधित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा गठित बहु-विषयक टीमों से सलाह/सहायता ले सकती है।

(xv) ग्राम सभा उसे जारी की गई निधियों के लिए संबंधित एजेंसी/सरकारी विभाग को निधियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी।

5. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण

(1) जब सरकार किसी अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर विचार करती है, तो सरकार या संबंधित प्राधिकरण मंडल प्रजा परिषद को प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित लिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: -

(i) परियोजना के संभावित प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना की पूरी रूपरेखा।

(ii) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण।

(iii) नए लोगों के गांव में बसने की संभावना और क्षेत्र और समाज पर संभावित प्रभाव, और

(iv) प्रस्तावित भागीदारी राशि गांव के लोगों के लिए मुआवजे, नौकरी के अवसर।

(2) पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद संबंधित मंडल प्रजा परिषद संबंधित अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जांच करने के लिए बुलाने के लिए सक्षम होगी। तलब किए गए ऐसे सभी व्यक्तियों को बिंदुवार स्पष्ट और सही जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) मंडल प्रजा परिषद सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद विस्थापित व्यक्तियों के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास योजना के बारे में सिफारिश करेगी।

(4) मंडल प्रजा परिषद की सिफारिश पर भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(5) यदि भू-अर्जन अधिकारी मंडल प्रजा परिषद की सिफारिशों से सहमत नहीं होते हैं, तो वह मामले को फिर से मंडल प्रजा परिषद को विचार के लिए भेजेंगे।

(6) यदि दूसरे परामर्श के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिकारी मंडल प्रजा परिषद की सिफारिशों के विरुद्ध एक आदेश पारित करता है, तो वह लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों को दर्ज करेगा।

(7) औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में, ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित सभी मंडल प्रजा परिषद से परामर्श किया जाएगा।

(8) पुनर्वास योजना की प्रगति को भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक 3 महीने के बाद मंडल प्रजा परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए।

(9) यदि मंडल प्रजा परिषद की राय में सुझाए गए उपायों का पालन नहीं किया जाता है, तो मंडल प्रजा परिषद राज्य सरकार को इसके बारे में लिखित रूप से सूचित कर सकती है, और राज्य सरकार के लिए उचित कार्रवाई करना अनिवार्य होगा।

(10) आरआर पैकेज में आवश्यक विशेषताएं होंगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

(क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को अयाकट में भूमि के आवंटन में वरीयता दी जाएगी।

(ख) प्रत्येक जनजातीय पीएएफ को वन उपज के प्रथागत अधिकारों/उपयोगों के नुकसान के लिए 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

(ग) जनजातीय पीएएफ को उनकी पसंद के प्राकृतिक आवास के करीब, जहां तक संभव हो, एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक में फिर से बसाया जाएगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें।

(घ) नदी/तालाब/बांध में मछली पकड़ने के अधिकार रखने वाले परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा।

(ङ) जनजातीय पीएएफ को अनुसूचित क्षेत्रों में पुनर्स्थापित और पुनर्वासित किया जाएगा।

6. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का प्रबंधन।

(i) ग्राम सभा गांव की आबादी के सामान्य लाभ के लिए छोटे जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी, जहां ऐसे जल निकाय गांव में आते हैं।

(ii) यदि ऐसे निकाय पंचायत में एक या अधिक गांवों के लोगों को लाभान्वित करते हैं, तो ग्राम पंचायत संबंधित ग्राम पंचायतों के लोगों के सामान्य लाभ के लिए लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी।

(iii) मंडल परिषद संबंधित ग्राम पंचायतों के लोगों के सामान्य लाभ के लिए लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी।

(iv) जिला परिषद संबंधित मंडल परिषदों में रहने वाले लोगों के सामान्य लाभ के लिए लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी, जहां ऐसे जल निकाय 2 या अधिक मंडलों की सीमा में आते हैं।

(v) उपयुक्त निकाय अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले लोगों के सामान्य लाभ के लिए जल निकायों की योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा, जहां ऐसे जल निकाय दो या अधिक जिला परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(vi) लघु जल निकाय की योजना में एक नए जल निकाय की योजना और निर्माण भी शामिल होगा।

(vii) लघु जल निकाय के प्रबंधन में मरम्मत, रखरखाव के लिए बहाली, मौसम के अनुसार आयाकट मौसम का निर्धारण, जल दर वसूली, इसका संग्रह और उपयोग के सभी कार्य शामिल होंगे।

(viii) ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद, उपयुक्त सरकार, जैसा भी मामला हो, उचित जल दर एकत्र करेगी और संबंधित जल उपयोगकर्ता संघों के साथ, जहां कहीं भी वे मौजूद हैं, उस अनुपात में साझा करेंगे, जैसा कि उनके अंतर्गत विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए पारस्परिक रूप से तय किया गया है।

(ix) सरकार लघु जल निकायों के रखरखाव के लिए हर वर्ष अपेक्षित राशि प्रदान करेगी। यह अनुदान आनुपातिक आधार पर होगा और उपयुक्त पंचायत खाते में अंतरित किया जाएगा।

7. अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करना।

(i) केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिगत स्थानीय सदस्य या विशेष रूप से स्थानीय अनुसूचित जनजाति के सदस्य वाली सोसाइटियां ही गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने और नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान करने की हकदार होंगी।

(ii) खनन विभाग अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायत को उनके विचारार्थ भेजेगा।

(iii) ग्राम पंचायत 4 सप्ताह में एक उचित प्रस्ताव पारित करके व्यक्तिगत या आदिवासी समाजों या जनजातीय खनन निगम को अपना अनुमोदन अग्रेषित करेगी या अस्वीकार करेगी।

(iv) ग्राम पंचायत का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा।

8. ग्राम पंचायतों और मंडल परिषदों की शक्तियां और कार्य

(I) आबकारी:

(क) संबंधित विभाग किसी गांव में शराब बनाने के लिए एक इकाई स्थापित करने के अपने इरादे को संबंधित ग्राम सभा को उक्त गांव में शराब के उत्पादन या निर्माण पर उसकी राय के लिए सूचित करेगा। ग्राम सभा चार सप्ताह में एक प्रस्ताव के रूप में अपनी राय से अवगत कराएगी। ग्राम सभा के संकल्प के आधार पर संबंधित विभाग संबंधित ग्राम सभा को सूचना के अंतर्गत गांव में शराब के उत्पादन/निर्माण के बारे में कार्रवाई करेगा।

(ख) गांव में शराब की दुकान खोलने के लिए कोई भी लाइसेंस देने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। ग्राम सभा चार सप्ताह में संकल्प के रूप में अपनी राय से अवगत कराएगी। लाइसेंस केवल स्थानीय अनुसूचित जनजाति को दिया जाएगा।

(ग) गांव में शराब की दुकान/बार खोलने के लिए कोई लाइसेंस देने या न देने के लिए एक मौखिक आदेश जारी करेगा और इसकी सुचना संबंधित ग्राम सभा को देगा। ग्राम सभा का संकल्प बाध्यकारी और अंतिम होगा।

(घ) ग्राम सभा किसी गांव में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके उपभोग के लिए तैयार करने/उत्पादित की जाने वाली पारंपरिक शराब की मात्रा का निर्धारण करेगी जो विवाह और अन्य सामाजिक और धार्मिक समारोहों के दौरान स्थानीय शराब की खपत से संबंधित परंपराओं, रीति-रिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए बिक्री के लिए नहीं होगी।

(II) लघु वनोपजों का स्वामित्व और निपटान

(क) बांस और बीड़ी पत्ती को छोड़कर एमएफपी की खरीद के लिए दिनांक 14.02.1983 को जी.ओ.एम.एस.सं.20, एसडब्ल्यू (एफ2) विभाग में जारी व्यापार विनियम 1979 द्वारा

जीसीसी के एकाधिकार अधिकारों के अधीन लघु वन उपज का स्वामित्व और निपटान का तरीका ग्राम सभा के व्यक्तिगत सदस्यों के पास निहित होगा। बांस और बीड़ी पत्ती के संबंध में, प्रबंधन, कटाई और निपटान वन विभाग द्वारा किया जाएगा जो संबंधित डिवीजनों के लिए कार्य योजनाओं/प्रबंधन योजनाओं में निर्धारित वैज्ञानिक वनसंवर्धन प्रथाओं का पालन करते हुए विधिवत कटाई करेगा। वन विभाग ग्राम सभा को आवंटित क्षेत्र से बांस और बीड़ी पत्ती की कटाई से होने वाले शुद्ध राजस्व को संबंधित ग्राम सभा को अंतरित करेगा, जो इसे ग्राम सभा के अलग-अलग सदस्यों को दे सकते हैं।

(ख) बस्ती में लघु वनोपजों का कोई भी संग्राहक, स्वामित्व, उसके द्वारा पारंपरिक रूप से एकत्र की गई ऐसी उपज के संग्रहण, उपयोग और निपटान से संबंधित अधिकार क्षेत्र पर विवाद के मामले में, निपटान के लिए ग्राम सभा को सूचित करेगा।

(ग) व्यक्तिगत संग्राहक के लघु वनोपज के स्वामित्व के अधिकार पर ऐसे दावों के सत्यापन के बाद, ग्राम सभा इस तरह के विवाद को निर्धारित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी।

(घ) ग्राम सभा एक रजिस्टर रखेगी जिसमें बस्ती में लघु वनोपज के प्रत्येक संग्राहक के नाम होंगे।

(ङ) संबंधित एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) के परियोजना अधिकारी इन नियमों के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।

(च) संबंधित अधिकार क्षेत्र में बांस और तेंदू उत्पादों के प्रबंधन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा।

(III) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम और अनुसूचित जनजाति की अलग-थलग भूमि की बहाली

(1) ग्राम सभा

(क) भूमि धारकों की एक सूची तैयार करेगी जिसमें भूमि की सीमा और हितधारकों के साथ पट्टेदारों के नाम शामिल हों।

(ख) सभी पट्टादारों के सामाजिक स्थिति के दावों की सत्यता की जांच करेगी कि क्या पट्टादार एक वास्तविक अनुसूचित जनजाति है।

(ग) सत्यापित करेगी कि क्या भूमि एक आदिवासी महिला के नाम पर खरीदी गई है और एक गैर-आदिवासी इसका लाभ उठा रहा है।

(घ) यदि वांछित हो तो खेत का दौरा करेगी और भौतिक रूप से सत्यापित करेगी कि क्या भूमि पर आदिवासी द्वारा खेती की जाती है या गैर-आदिवासी द्वारा पट्टे, बंधक आदि पर लिया जाता है; और

(ङ) सरकारी भूमि के आवंटन के लिए लाभार्थियों की सूची को मंजूरी देगी।

(च) (क)-(ङ) में उल्लिखित सभी मामलों में, यदि ग्राम सभा, पूरी तरह से जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाती है कि कुछ व्यवसाय समय-समय पर यथा संशोधित आंध्र प्रदेश भूमि अंतरण विनियमन, 1959 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ग्राम सभा उल्लंघन के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए एक संकल्प पारित करेगी। समय-समय पर यथासंशोधित आंध्र प्रदेश भूमि अंतरण विनियम, 1959 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी परिणामी कार्रवाई शुरू करेंगे।

(2) यदि भूमि के कब्जे के संबंध में परस्पर विरोधी दावे हैं, तो ग्राम सभा एक बैठक बुलाएगी और संबंधितों से ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्य मांगेगी ताकि वे उचित प्रस्ताव पारित कर सकें और परिणामी कार्रवाई शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध कर सकें।

(3) ग्राम सभा किसी गैर-आदिवासी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर एक बैठक भी बुलाएगी या उचित प्रस्ताव पारित करेगी और अनुसूचित जनजाति हस्तांतरणकर्ता को भूमि बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(4) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई भी व्यक्ति संकल्प की तारीख से साठ दिनों की अवधि में, आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पास याचिका दायर कर सकता है।

(5) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी या तो याचिका को अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है या पुनर्विचार के लिए संबंधित ग्राम सभा को भेज सकता है।

(6) इस तरह के संदर्भ की प्राप्ति के बाद, ग्राम सभा तीस दिनों की अवधि में बैठक करेगी, याचिका को सुनेगी, उस संदर्भ पर संकल्प पारित करेगी और इसे आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(7) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ग्राम सभा के संकल्प पर विचार करेगा और याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए उचित आदेश पारित करेगा।

(8) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आदिवासी और गैर-जनजातीय लोगों से जुड़े भूमि हस्तांतरण के प्रत्येक मामले में संबंधित ग्राम सभा को उनकी सुविचारित राय के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित करेगा। संबंधित ग्राम सभा को पक्षकार बनाया जाएगा और ग्राम सभा की राय की विधिवत जांच की जाएगी।

(9) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में संबंधित ग्राम सभाओं को निर्णयों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(10) आदिवासियों को भूमि का कब्जा बहाल करते समय, सक्षम प्राधिकारी उस सीमा तक ग्राम सभा के सदस्य के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(IV) ग्रामीण बाजारों/शांडी/सांथा/अंगड़ियों या किसी भी नाम से बुलाया जाए का प्रबंधन।

(1) संबंधित ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम बाजारों (जिस किसी नाम से बुलाया जाए) का प्रबंधन करने के लिए बाजार समिति होगी।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित गांवों की ग्राम पंचायतें जहां साप्ताहिक बाजार (जिस किसी नाम से बुलाया जाए) अनुसूचित क्षेत्रों में बाजार समितियों के रूप में निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेंगे।

(क) लाइसेंस केवल स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने चाहिए।
(ख) बाजार यार्ड को बनाए रखना और प्रबंधित करना;
(ग) एक बाजार यार्ड में लेनदेन के उद्‌घाटन, समापन और निलंबन को विनियमित करना;
(घ) बाजार पदाधिकारियों के आचरण की निगरानी करना;
(ङ) लाइसेंस की शर्तों को लागू करना;
(च) बिक्री, तौल, वितरण, भुगतान और कृषि उपज के विपणन से संबंधित अन्य सभी मामलों, एनटीएफपी उत्पाद, पशुधन या पशुधन के उत्पादों और उनसे संबंधित सभी मामलों के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तन या रद्द करने को विनियमित करना।

लघु वनोपजों के निपटान में स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, वन क्षेत्र में हेड लोड के माध्यम से परिवहन, साइकिल और हाथ गाड़ियां शामिल हैं, ताकि संग्रहकर्ताओं या समुदायों द्वारा आजीविका के लिए बिक्री के लिए ऐसी उपज का उपयोग किया जा सके।

(छ) बाजार क्षेत्र में कृषि उपज, एनटीएफपी उत्पाद, पशुधन या पशुधन के उत्पादों के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना;

(ज) अधिसूचित कृषि उपज, एनटीएफपी उत्पाद, पशुधन या पशुधन उत्पादों और उससे संबंधित सभी मामलों के विपणन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विक्रेता और खरीदार और अन्य लोगों के बीच सभी विवादों के निपटान का प्रावधान है;

(झ) निम्नलिखित के संबंध में जानकारी एकत्र करना, बनाए रखना और प्रसारित करना: -

(i) अधिसूचित कृषि उपज, पशुधन या पशुधन के उत्पादों की बिक्री मूल्य और आवाजाही; और किसी भी अन्य उत्पाद और
(ii) अधिसूचित वस्तुओं का उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण;

(ञ) मिलावट को रोकने और ग्रेडिंग मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाना।

(ट) शुल्क, सब्सक्रिप्शन और अन्य धनराशि वसूलना, वसूल करना और प्राप्त करना, जिसके लिए पंचायत हकदार है;

(ठ) अनुसूचित क्षेत्रों में उपर्युक्त नियमों के कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियोजित करना।

(ड) अधिसूचित कृषि उपज, पशुधन या उपरोक्त नियमों के अनुसार पशुधन के उत्पादों की नीलामी का संचालन करना।

(ढ) अधिसूचित वस्तुओं का सही वजन सुनिश्चित करना;

(ण) बाजार यार्ड में व्यक्तियों के प्रवेश और वाहनों के यातायात को विनियमित करना;

(त) नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार मुकदमा करना।

(थ) किसी भी मुकदमे, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या मध्यस्थता की स्थापना या बचाव करना और इस तरह के मुकदमे, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या मध्यस्थता से समझौता करना; और

(द) सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि एक उत्पादक द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री के लिए पर्याप्त स्थान का प्रावधान और एक निर्माता की ओर से चालान और बिल तैयार करके सहायता करना जब वह कमीशन एजेंट को नियुक्त किए बिना किसी व्यापारी को अपनी उपज बेचता है।

(ध) बाजारों की स्थापना और विकास में सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों को लागू करना।

(V) अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने पर नियंत्रण रखना

अनुसूचित क्षेत्रों में निजी ऋण एजेंसियों को कोई ऋण लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(VI) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखना

(i) शिक्षा

(क) मंडल परिषद को संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक रिपोर्ट मांगने का अधिकार होगा।

(ख) मंडल परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए 31 मई तक अर्थात शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले बजट को मंजूरी देगी।

(ग) मंडल परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में सभी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सभी शिक्षकों की उपस्थिति और नियमितता की निगरानी करेगी और जब भी वे अनुपस्थित या अनियमित प्रथाओं में लिप्त पाए जाते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सक्षम प्राधिकारी मंडल परिषद या ग्राम पंचायत, जैसा भी मामला हो, को सूचित करते हुए कार्रवाई करेगा।

(ii) कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन

(क) मंडल परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में कल्याण छात्रावासों के आहार, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन से संबंधित मामलों की निगरानी करेगी।

(ख) मंडल परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में सभी छात्रावास कल्याण अधिकारियों से एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार प्रशासनिक रिपोर्ट मांगेगी।

(ग) जहां तक कल्याण छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश का संबंध है, मंडल परिषद अनुशंसा प्राधिकारी होगी।

(घ) मंडल परिषद छात्रावास कल्याण अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी, जब भी वे अनुपस्थित पाए जाते हैं या अनियमित प्रथाओं में लिप्त पाए जाते हैं। संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी मंडल परिषद या ग्राम पंचायत, जैसा भी मामला हो, को सूचित करते हुए कार्रवाई करेगा।

(iii) स्वास्थ्य

पंचायत राज संस्थान उन अस्पतालों का समर्थन, मार्गदर्शन और समीक्षा करेगा जहां संस्थान अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में हैं और निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देंगे:

(क) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा और निगरानी करना।

(ख) दवाओं की आपूर्ति और उसके उपयोग की समीक्षा करना।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विस्तार गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी करना।

(घ) महामारियों के प्रकोप को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा और निगरानी करना।

(ङ) रखरखाव, आसपास के रखरखाव और चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण की समीक्षा और निगरानी करना।

(च) ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक पंचायत राज संस्थाएं अपने अधिकार क्षेत्र अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल प्रजा परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण का स्वामित्व करेंगी।

(छ) पंचायत राज संस्थान गांवों के सुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वच्छता जैसी गतिविधियों का स्वामित्व लेगी।

(ज) जब कभी पंचायत राज संस्थाएं सुधार के लिए सुझाव देती हैं, तो संबंधित अस्पताल प्राधिकारी संबंधित पंचायत राज संस्थाओं को कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे। ग्राम पंचायत, मंडल और जिला स्तर पर क्रमशः एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पंचायत राज संस्थाओं की आम सभा की बैठकों में भाग लेंगे।

(झ) जब भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी या एएनएम या जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी स्वच्छता, स्वच्छता और सुरक्षित पानी में सुधार या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी मामले के लिए सुझाव देते हैं, तो संबंधित पंचायत राज संस्थानों के अधिकारी तुरंत उत्तर देंगे और संबंधित चिकित्सा अधिकारी या जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को कार्रवाई रिपोर्ट भेजेंगे।

(ञ) मंडल परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के बजट का अनुमोदन करेगी।

(ट) मंडल परिषद वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक महीने में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों की प्रशासनिक रिपोर्ट मांगेगी।

(iv) महिला एवं बाल कल्याण

(क) ग्राम सभा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बजट का अनुमोदन करेगी।

(ख) मंडल परिषद वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक महीने में अपने अधिकार क्षेत्र में आईसीडीएस के परियोजना अधिकारी से प्रशासनिक रिपोर्ट मांगेगी।

(ग) ग्राम पंचायत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं अर्थात सहायकों और कार्यकर्ताओं के लिए नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकरण होगी।

(V) जनजातीय उप-योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण:

(क) राज्य सरकार जिलावार टीएसपी आवंटनों के बारे में जिला कलेक्टरों को सूचित करेगी और बदले में जिला कलेक्टर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक महीने में मंडल परिषद को मंडल-वार आवंटनों के बारे में भौतिक और वित्तीय दोनों संदर्भों में सूचित करेंगे।

(ख) मंडल परिषद विकास अधिकारी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक महीने में भौतिक और वित्तीय दोनों रूप में ग्राम पंचायतों को टीएसपी आवंटन की सूचना देंगे।

(ग) मंडल परिषद और ग्राम पंचायत महीने में एक बार अपने अधिकार क्षेत्र के सभी विभागों में टीएसपी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(घ) मंडल परिषद और ग्राम पंचायत संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से टीएसपी के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

9. <u>अपील, संशोधन और समीक्षा की शक्ति:</u>

(i) ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से व्यथित कोई भी व्यक्ति/निकाय ग्राम सभा द्वारा ऐसे संकल्प के पारित होने के साठ दिनों में आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इसके बाद आयुक्त निर्णय की शुद्धता या वैधता के बारे में मांग कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है और संबंधित को ऐसा आदेश/निर्देश पारित कर सकता है जो जनजातियों के सर्वोत्तम हित में उचित और उचित समझा जाता है।

(ii) आयुक्त के निदेश/आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति/निकाय ऐसे आदेश/निदेश के पारित होने की तारीख से 90 दिनों में सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है।

(iii) सरकार जनजातियों के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाने पर संबंधित की समीक्षा करने और उन्हें उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

(आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के आदेश द्वारा और नाम से)

डॉ. राजीव शर्मा
सरकार के प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि

आयुक्त, मुद्रण, स्टेशनरी और स्टोर खरीद, चंचल गुडा, हैदराबाद (अनुरोध है कि राजपत्र अधिसूचना की 5000 प्रतियां भेजें)
समाज कल्याण (टीडब्ल्यू) विभाग
पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
राजस्व विभाग (एलए/आबकारी) विभाग
सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास विभाग
उद्योग और वाणिज्य (खान) विभाग
कृषि और सहकारिता (कृषि मंत्रालय) मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग
गृह विभाग
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग
महिला, बच्चे, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक विभाग (आईसीडीएस)
स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग
पंचायत राज और ग्रामीण रोजगार आयुक्त, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
आयुक्त, जनजातीय कल्याण
मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सैफाबाद, हैदराबाद
आयुक्त, समाज कल्याण विभाग।
आयुक्त, सर्वेक्षण निपटान और भूमि अधिग्रहण, हैदराबाद
आबकारी आयुक्त, हैदराबाद
आयुक्त, पुनर्स्थापन और पुनर्वास, हैदराबाद
प्रभारी अभियंता (सिंचाई), एर्रुम मंजिल, हैदराबाद
खान और भूविज्ञान निदेशक, हैदराबाद
आयुक्त और विपणन निदेशक, हैदराबाद
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयुक्त, हैदराबाद
निदेशक, स्कूल शिक्षा, हैदराबाद
आयुक्त, महिला विकास एवं बाल कल्याण, हैदराबाद
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक, हैदराबाद
आयुक्त, एपी वैद्य विधान परिषद, हैदराबाद
निदेशक, पशुपालन, हैदराबाद
जनजाति सलाहकार समिति, हैदराबाद
उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, गिरिजन सहकारी निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम
सभी जिला कलेक्टर
राज्य में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राज्य के सभी जिला पंचायत अधिकारी
माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के निजी सचिव
माननीय मंत्री (पीआर) के निजी सचिव
प्रधान सचिव (पीआर) के निजी सचिव
विधि विभाग का संवीक्षा प्रकोष्ठ

// आदेश द्वारा अग्रेषित //

अनुभाग अधिकारी